तत्काल / सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय

क्रमांक- F-2-5/2014/सात/शा-6 भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रति

संभागीय आयुक्त (समस्त)
कलेक्टर (समस्त)
अनुविभागीय अधिकारी (समस्त)
तहसीलदार (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय : **"कृषि महोत्सव–2014" के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा संपादित की कार्यवाहियां**

मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2014 से 20 अक्टूबर 2014 तक प्रदेश में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त महोत्सव के दौरान कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं/ कार्यक्रमों का लाभ कृषकों को दिए जाने हेतु अभियान चलाया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा कृषि महोत्सव ग्राम स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर मनाया जाएगा।

कृषि महोत्सव के दौरान हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर सभी कृषकों को खसरा / खतौनी की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपियों का निःशुल्क वितरण पूरे माह किया जाएगा साथ ही बी–1 का वाचन, सीमांकन एवं अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण भी पूरे माह किया जाएगा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव के अन्तर्गत ग्राम, विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी इनका वितरण किया जाये। त्रि–स्तरीय कार्यक्रमो में राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अमले यथा पटवारी, राजस्व निरीक्षक एव नायब तहसीलदार/ तहसीलदार अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा मौके पर ही उक्तानुसार प्रकरणों का निराकरण भी किया जाना सुनिश्चित करें। तत्संबंध में आवश्यक स्टेशनरी इत्यादि की मांग तत्काल आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को भेज दें।

(अरूण तिवारी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक F-2-5/2014/सात/6 भोपाल, दिनांक 11/09/2014

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. विशेष सहायक, मान. राजस्व मंत्री जी, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल।
6. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग